न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी :– अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :– 03/81
तारीख दायर :– 25/09/2017

उनवान

1. मन्नालाल पुत्र रेवडराम उम्र करीब 60 साल जाति कीर निवासी कीरों की ढाणी थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–प्रार्थी।

बनाम

1. कौशल्या देवी पत्नी सीताराम उम्र करीब 40 साल जाति बागडा ब्राहमण निवासी नाल्या प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

– अप्रार्थी।

॥ प्रा. पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1995 की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा हेतु ॥

उपस्थिति :–

1. श्री एम. के. शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी।
2. श्री बी आर सैनी, एडवोकेट अप्रार्थी।

न्यायालय द्वारा :–

निर्णय **दिनांकः– 19.07.2019**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम लाहा का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान स्थित आराजी खसरा न. 310 रकबा 1.03 है. का खातेदार अभिधारी है। उपरोक्त आराजी व इस आराजी में बने कुएँ, झोपडी आदि में पहुँच के प्रयोजन के लिए ग्राम थानागाजी से लाहा का बास की तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर पक्की सडक जा रही है, से तरफ दक्षिण को अप्रार्थी कोशल्या देवी पत्नी सीताराम कौम बागड़ा ब्राहमण निवासी नाल्या, प्रतापगढ, तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान की आराजी खसरा नम्बर 311 रकबा 0.89 है, ग्राम लाहा का बास में स्थित है, जिस आराजी के तरफ पूर्व में सिवायचक आराजी स्थित है व पश्चिम में रामजीलाल की आराजी स्थित है । अप्रार्थी की उक्त आराजी के तरफ पूर्वी डोल के सहारे सहारे तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर करीब 10 फुट चौडा कच्चा मार्ग (रास्ता) जिसे संलग्न नक्शा नजरी में रंग सुर्ख से दर्शाया हुआ है, सरासर जारी है जो बुजुर्गान के समय से ही यानि कदीमी से जारी है, जिस रास्ते का उपयोग उपभोग मिन आवेदक हल बैल ट्रैक्टर वाहन आदि ले जाकर व आमद रफ़त रख कर करता आ रहा है। इसके अलावा आवेदक की आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नही है। विधमान मार्ग (रास्ता) ही आवेदक की आराजी व कुएँ झोपडी पर आन जाने के लिए एक मात्र निकटतम व लघुतम मार्ग (रास्ता) है। आवेदक ने अपनी खातेदारी की आराजी में रिहायश हेतु एक झोपडी, एक कुआँ तथा एक बोरिंग बना रखी है जिसमे विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा पशु आदि रखता है और उक्त आराजी में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषन करता है। आवेदक विद्यमान मार्ग

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

को राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित कराना चाहता है जिस हेतु नियमानुसार देय प्रतिकर राशि अदा करने को तैयार है। आवेदक ने पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा न. 311 रकबा 0.89 है, में तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्वी ढोल के सहारे सहारे करीब 10 फुट चौडा कच्चा मार्ग सरासर जारी है जिसे संलग्न नजरी नक्शा में रंग पूर्वक से दर्शाया हुआ है को राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आप्रार्थी के एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया किन्तु बाद कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। अतः प्रतिवादीगण के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल लाई गयी। उक्त प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी ने जांच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम लाहा का बास की आराजी खसरा न. 310 एवं आराजी खसरा न. 311 का मौका देखा गया। मुताबिक मौका एवं राजस्व नक्शा के आराजी खसरा न. 311 आराजी खसरा न. 310 के उत्तर दिशा में स्थित है, खसरा नम्बर 311 के उत्तर दिशा में खसरा न. 304 किस्म गैर मु. रास्ता सिंचायचक बिला लगानी स्थित है, खसरा न. 304 गैर मु. रास्ता से खातेदारी आराजी खसरा न. 310 तक का पहुँच मार्ग खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 311 में से होकर जा रहा है, उक्त मार्ग के अलावा खातेदारी आराजी खसरा न. 310 में पहुंच के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग निकटतम उपलब्ध नही है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया तथा तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अंतर्गत प्रार्थना पत्र द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा सं. 310 रकबा 1.03 है, बारानी तृतीय ग्राम लाहा का बास तक पहुँचने के लिए अप्रार्थिनी की आराजी खसरा सं. 311 रकबा 0.89 से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी खसरा सं. 310 में पहुँचने के लिए प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही निकटतम है तथा इस मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

अतः आदेश है कि प्रा.पत्र धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी की आराजी खसरा सं. 310 रकबा 1.03 है, बारानी तृतीय वाके ग्राम लाहा का बास तक पहुँचने के लिए अप्रार्थिनी की आराजी खसरा सं. 311 रकबा 0.89 में से सरासर जारी विद्यमान वैकल्पिक मार्ग लम्बाई में 42 मीटर व चौडाई में 3 मीटर भूमि रास्तें के लिए अधिगृहित करने के आदेश दिये जाते है तथा अधिगृहित रकबा की डीएलसी दर से प्रार्थी से दुगुनी राशि जमा कर अप्रार्थी को भूगतान करे। बाद जमा राशि अधिगृहित रकबा को राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। उक्त रास्ता सार्वजनिक उपभोग व उपयोग में लिया जावेगा। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार थानागाजी को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी

Scanned by CamScanner